(ख) तीन सरकारी अस्पतालों में मेडिकल अफसरों की वर्तमान संख्या पर्याप्त है तथापि कर्मचारियों की संख्या का अन्वेषण होता रहता है और आवश्यकता समझने पर इस में वृद्धि होती रहती है ।

(ग) और (घ). सफदरजंग अस्पताल की वर्तमान ७५२ शय्याओं में निकट भविष्य में ३५८ और शय्याओं की वृद्धि करने का विचार है। विलिंगडन अस्पताल में भी वर्तमान २६० शय्याओं में २४० और शय्याओं की वृद्धि की जा रही है ।

इस अस्पताल के विस्तार के निर्माण कार्यक्रम के पूर्ण होने पर ही यहां २५० और शय्याओं की व्यवस्था करना सम्भव हो सकेगा ।

जहां तक इर्विन अस्पताल का प्रश्न है, इस अस्पताल को सीमा में ३५०/५०० शय्याओं के एक अस्पताल के निर्माण की योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर दी गई है । निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो गया है और आशा है कि यह दो वर्ष में पूर्ण हो जायेगा ।

दिल्ली प्रशासन के अधीन नये अस्पतालों को खोलने/विस्तार करने की निम्नलिखित योजनाओं को अस्थाई रूप से तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है :

दिल्ली प्रशासन के अधीन

(१) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन ३०० शय्याओं के एक जनरल एवं प्रसूती अस्पताल का निर्माण ।

(२) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन १५० शय्याओं के क्षय अस्पताल का निर्माण ।

(३) इर्विन अस्पताल नई दिल्ली में ३५० शय्याओं के एक खंड का निर्माण ।

(४) शाहदरा में १०० शय्याओं के एक मानसिक रोग चिकित्सालय का निर्माण ।

दिल्ली में पंचायतें

*१७२. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज्य तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की खंड विकास समितियों तथा ग्राम विकास मंडलों द्वारा दिल्ली की पंचायतों को अधिक अधिकार देने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाये गये ?

सामुदायिक विकास, पंचायती राज्य और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) और (ख). दिल्ली में कोई ग्राम विकास बोर्ड नहीं है । खण्ड विकास समितियां दुबारा बनाई गई हैं और अब उनका नाम पंचायत समितियां रखा गया है ।

अलीपुर की खंड पंचायत समिति ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें आग्रह किया गया था कि दिल्ली प्रशासन गांव पंचायतों को कुछ वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दे । इस प्रस्ताव में यह भी आग्रह किया गया था कि दिल्ली नगर निगम को भी अपने कुछ अधिकार पंचायत समितियों व पंचायतों को देने चाहियें ।

यह मामला क्रमशः दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम के विचाराधीन है ।

Exchange of Data on Eastern River Projects

*174. **Shrimati Maimoona Sultan:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the progress that has so far been made in the exchange of data on Eastern River Projects between India and Pakistan; and

(b) what decisions, if any, have been taken with regard to distribution of river waters between the two countries, in the light of the latest developments?